रेफ़रल प्रक्रिया

The County District Attorney's (DA) office (काउंटी डिस्ट्रिक्ट एटॉर्नी (DA) ऑफिस) हर मामले का अलग-अलग मूल्याँकन करेगा, अभियोजन पक्ष के विवेक के आधार पर सिफारिशें तय करेगा। DA बचाव पक्ष के सभी एटॉर्नी द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदनों की समीक्षा करेगा। इसके बा□, DA प्रतिवादी के एटॉर्नी □□ DWI कोर्ट ऑफ़िसर को सूचित करेगा कि व्यक्ति कानूनी पात्रता मापदंडों को पूरा करता है या नहीं। इसके बाद प्रतिभागी की चिकित्सीय मूल्यांकन /परीक्षण के लिए DWI कोर्ट ऑफ़िसर के साथ मुलाक़ात निर्धारित की जाती है ताकि प्रतिभागी के उपचार की जरूरत और कार्यक्रम में भाग लेने की इच्छाशक्ति का आँकलन किया जा सके।

एक बार जब मुवक्किल DWI Court Program (DWI कोर्ट प्रोग्राम) में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है, तब निर्णय के लिए मामला अगले DWI कोर्ट डोकेट के लिए तय किया जाता है। उस समय, मुवक्किल न्यायाधीश के सामने पेश होता है और उसे प्रोग्राम के लिए स्वीकार कर लिया जाता है। मुवक्किल के कानूनी वकील का □□ DWI कोर्ट एटॉर्नी (डिफेन्स एटॉर्नी) को स्थानांतरित हो जाता है। अपराधी पात्र नहीं होंगे, यदि उन पर कभी भी ड्रग ट्रैफिकिंग (अवैध व्यापार), यौन अपराध या हिंसक/हमले के अपराध में आरोप लगे हैं या दोष सिद्ध हुआ है। इसके अतिरिक्त, दोषी को किसी तरह की वास्तविक मानसिक स्वास्थ्य समस्या न हो जो उसे इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने से रोकती हो।

इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए दोषी कम से कम सत्रह (17) वर्ष का होना चाहिए, बदलाव के लिए मानसिक तौर पर तैयार हो, पिछले DWI में दोषी हो या सही जाँच के बाद पहली बार DWI में दोषी पाए जाने वाला व्यक्ति इस प्रोग्राम के लिए योग्य हो सकता है। अन्य अपराधों के आरोप वाले लोग भी स्वीकार किए जा सकते हैं, अगर नशीले पदार्थों की लत का प ता चलता है। DWI Court Program (DWI कोर्ट प्रोग्राम) में दाखिल किए जाने वाले दोषियों को कम्यूनिटी सुपरविज़न के वर्तमान सत्र में बदलाव के जरिए या कोर्ट से शुरुआती नियुक्ति के माध्यम से भर्ती किया जा सकता है।

दोषी इस प्रोग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने के इच्छुक हों और प्रोग्राम में उपस्थिति के लिए जरूरी हाजिरी को पूरा करने में सक्षम होने चाहिए।

DWI Court जिंदगियाँ बचाते हैं

DWI Court सबसे ज्यादा सफल रणनीति है, जिसके जरिए आदतन नशे में गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों को जिम्मेदार बनाया जाता है और जो यह सुनिश्चित करता है कि वे लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट प्राप्त कर सके।

- DWI Court प्रतिभागियों के कोर्ट खर्च/जुर्माने का निर्धारण नहीं होगा।
- DWI Court प्रतिभागियों को शुरुआत में ही कोर्ट कम्यूनिटी सर्विस रेस्टिटूशन (एक प्रकार की स्वेच्छा सेवा) को पूरा करने का आदेश नहीं दिया जाएगा।
- DWI Court प्रतिभागियों को हर महीने सुपरविज़न फ़ीस के लिए $60 का भुगतान करना होगा।
- DWI प्रतिभागियों को अपना ड्राइवर लाइसेंस बहाल कराने के लिए सहायता प्राप्त होगी।
- DWI प्रतिभागी रियायती दाम पर इंटरलॉक डिवाइस लगवा पाएँगे।

बेनीता अवेरी, CCO II
DWI कोर्ट कोओर्डिनेटर
4520 रीडिंग रोड, Ste B
रोज़नबर्ग, TX 77471
281-633-7205
281-341-6034 फैक्स
Benita.Avery@fortbendcountytx.gov

माननीय न्यायाधीश
शर्मन हटन, जूनियर

काउंटी कोर्ट ऐट
लॉ नंबर 6.

FORT BEND COUNTY (फोर्ट बेंड काउंटी)

चेंजिंग एंड सेविंग लाइव्स (जिंदगियाँ बदल और बचा रही है)

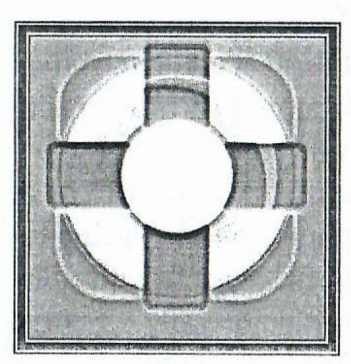

DWI Court

DWI Court क्या है?

DWI Court Program बारह (12) महीने से लेकर चौबीस (24) महीने का एक व्यापक प्रोग्राम है, जिसे जरूरत के मुताबिक बढ़ाया जा सकता है और जिसकी मामला-दर-मामला समीक्षा की जाएगी। DWI Court Program में निर्धारित लक्ष्यों जो सिर्फ सामुदायिक सुरक्षा तक सीमित नहीं है, में अपराधी प्रवृति को कम करना, करदाताओं के पैसे बचाना और दोषी के लिए व्यक्तिगत उपचार, शिक्षा, संगी-साथियों के साथ, गहन निगरानी के जरिए ड्रग्स और शराब रहित उनकी जीवनशैली को बनाए रखना और प्रतिभागियों की सोच और व्यवहार में बदलाव लाना शामिल है।

Fort Bend County DWI Court (फ़ोर्ट बेंड काउंटी डीडब्ल्यूआई कोर्ट) का ध्येय वक्तव्य है, अपने प्रतिभागियों की आपराधिक प्रवृति को कम करके समुदाय की रक्षा करना। इसी तरह व्यहार में बदलावों के जरिए लोगों का जीवन बचाना, जिसमें साथ के साथ नशे की लत से छुटकारा पाने के लिए प्रतिभागी पर अपनी निजी समस्याओं और आपराधिक प्रवृति का सामना करने का दबाव बनाना भी है।

<u>प्रोग्राम</u>

DWI Court द्विस्तरीय है

स्तर एक: प्री-ट्रायल डायवर्ज़न (सफलतापूर्वक समाप्त करने पर मामला खारिज करने योग्य)

स्तर दो: दोषसिद्धि के पश्चात

इसमें तीन (3) चरण शामिल हैं:

पहला चरणः

- इंटरलॉक डिवाइस की जरूरत होगी (रियायती दाम पर)
- उपयुक्त उपचार प्रदान करने वाले के द्वारा प्रतिभागी का उपचार
- समय-समय पर पेशाब का नमूना जाँच के लिए देना जरूरी होगा
- DWI Court में महीने में दो बार पेश होना होगा।
- दूसरा चरणः
- प्रोग्राम में शामिल होने वाले प्रतिभागी इंटरलॉक डिवाइस हटाने के योग्य होंगे।
- समय-समय पर ड्रग्स (मादक पदार्थ)/अल्कोहल की जाँच के लिए नमूना देना जारी रखेंगे
- उपचार और
- काउंसिलिंग जारी रखेंगे
- महीने में दो बार कोर्ट में हाजिरी जारी रहेगी

तीसरा चरणः

- > प्रतिभागी ऑफ़्टरकेयर (बाद की देखभाल) में उपस्थित होंगे
- समय-समय पर ड्रग्स/अल्कोहल की जाँच जारी रहेगी
- कोर्ट में हाजिरी महीने में एक बार होगी

प्रतिभागी को कम से कम दो VIP (Victim Impact Panels) में शामिल होने की जरूरत होगी

बेनीता अवेरी

DWI कोर्ट कोओर्डिनेटर

281-633-7205

स्टैन पोल्क, सुपरवाइज़र

281-238-3236